निबंधन संख्या पी0टी0-40

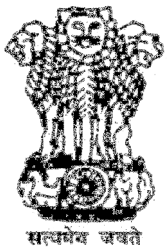

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 अग्रहायण 1933 (श0)

संख्या 50 पटना, बुधवार, ——————

14 दिसम्बर 2011 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-2
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	3-4
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठअनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	---
पूरक	---
पूरक-क	5-6

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

अधिसूचना
25 नवम्बर 2011

सं0 1/ए4–(स्था0)–10–43/2011–3285–श्री नवीन कुमार मिश्र, उपायुक्त उत्पाद, भागलपुर–सह–मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर को उनके अपने ही वेतनमान में स्थानांतरित करते हुए संयुक्त आयुक्त उत्पाद के पद के विरुद्ध पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मिसबाह बारी, अपर सचिव।

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना
24 नवम्बर 2011

सं० 01 स्था/न0नि0–1–12/10–**6327**/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा–41 के अध्यधीन श्री अमरेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी, मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रभार ग्रहण की तिथि से अगले आदेश तक के लिए नगर कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, मुरलीगंज, जिला–मधेपुरा के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट, उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39—571+**20**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

पत्र संख्या जी/विविध–51/2011–15920

गृह (विशेष) विभाग

प्रेषक,

प्रीता वर्मा,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वाराः– वित्त विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 28 नवम्बर 2011

विषय– कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग में नियुक्त माननीय श्री मधुसूदन सिंह, सेवा–निवृत्त महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय की सेवाशर्त्त निर्धारण करने के संबंध में।

आदेशः– स्वीकृत।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि गृह विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 9362, दिनांक 10 सितम्बर 2008 के द्वारा श्री राजेश बालिया, सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित कोसी बाँध कटान न्यायिक जाँच आयोग में माननीय अध्यक्ष के कार्यों में सहायता प्रदान करने हेतु जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर विभागीय अधिसूचना सं0 13499, दिनांक 9 सितम्बर 2011 के द्वारा माननीय श्री मधुसूदन सिंह, सेवा–निवृत्त महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति के आलोक में उनकी सेवा शर्त्त का निर्धारण दिनांक 9 सितम्बर 2011 से निम्नप्रकार किया जाता हैं :–

1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सेवा–निवृत के समय वेतनमान (रु० 70290–76460) में प्राप्त अंतिम मूल वेतन में से मूल पेंशन की राशि को घटाने पर बची हुई राशि पर मँहगाई भत्ते अनुमान्य होगें। पुनर्नियोजन की अवधि में पेंशन पर महँगाई भत्ते का भुगतान स्थगित रहेगा।

2. मुफ्त आवास (सरकारी आवास उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अनुमान्य आवास भत्ता)।

3. विधुत एवं जल के रूप में किये गये मासिक भुगतान का 50 प्रतिशत की राशि की प्रतिपूर्त्ति।

4. सरकारी वाहन अनुमान्य, ईंधन एवं चालक के साथ। यदि सरकारी वाहन उपलब्ध नहीं होता है तो नियमानुकूल मासिक किराया पर वाहन प्राप्त कर उपयोग करेंगे, जिसका भुगतान आयोग द्वारा किया जाएगा तथा नियमानुकूल ईंधन अनुमान्य होगा।

5. कार्यालय में दूरभाष एवं आवास में दूरभाष पर हुए व्यय का अनुमान्य सीमा तक प्रतिपूर्त्ति।

6. अगले आदेश अथवा जाँच आयोग के विघटन, जो भी पहले हो उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त हो जायेगी।

इसमें वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
प्रीता वर्मा, विशेष सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
19 अक्तूबर 2011

सं० 1/निग०को०(रा०आ०)सी०ए०–01/2009–4676––श्री बालेश्वर राम, तत्कालीन जिला कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, छपरा के विरुद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1919, दिनांक 6 जुलाई 2004 द्वारा कतिपय आरोपों यथा (1) गरीब हरिजन से 10 प्रतिशत घूस लेकर मार्जिन मनी बैंक को भेजा गया। जो हरिजन घूस नहीं दिया उसका चेक काटकर उसे रद्द कर पुनः दूसरा चेक निर्गत किया गया। (2) समेकित ग्रामीण विकास योजनान्तर्गत वर्ष 1985–86 में फर्जी एवं अस्तित्वहीन व्यक्तियों के नाम पर आपराधिक षडयंत्र के तहत धोखाधड़ी एवं जालसाजीपूर्वक फर्जी कागजात तैयार करवा कर सरकारी रुपये का गबन करना। (3) 10 प्रतिशत मामलों का सत्यापन स्वयं नहीं करने तथा (4) नियमानुसार मार्जिन मनी 25 प्रतिशत होनी चाहिए थी, लेकिन आरोपित पदाधिकारी श्री राम द्वारा सभी मामलों में कम करके भेजा गया के लिए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

उक्त आरोपों के लिए आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध निगरानी थाना कांड सं॰ 22/97, दिनांक 22 जुलाई 1997 दायर है, जो अभी न्यायालय में है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक–774, दिनांक 30 जुलाई 2005 के द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अधिगम विभाग को उपलब्ध कराया गया।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम के समीक्षोपरान्त श्री राम से अधिगम की प्रति के साथ द्वितीय कारण–पृच्छा की मांग विभागीय पत्रांक–1924, दिनांक 2 जुलाई 2009 द्वारा की गई।

श्री राम के दिनांक 31 दिसम्बर 2009 के सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1403, दिनांक 30 मार्च 2010 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अंतर्गत सम्परिवर्तित किया गया।

श्री राम से प्राप्त द्वितीय कारण–पृच्छा की समीक्षा सरकार के स्तर पर सम्यक रूप से की गई। समीक्षोपरान्त श्री राम के विरुद्ध फर्जी अभिलेख तैयार कर फर्जी ऋण दिखाकर बैंक अनुदानित राशि का गबन करने एवं प्रबंध निदेशक, बिहार अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम के 10 प्रतिशत मामले का सत्यापन स्वयं नहीं करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है, जिसके कारण ही फर्जी एवं अस्तित्वहीन व्यक्तियों को ऋण दिखाकर अनुदान की राशि का गबन हुआ है, जो अनुसूचित जाति के गरीब एवं निःसहाय व्यक्तियों का था। फलतः वित्तीय अनियमितता के ये आरोप अतिगंभीर हैं।

अतः उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरान्त श्री बालेश्वर राम, तत्कालीन जिला कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, छपरा सम्प्रति सेवा–निवृत जिला सहकारिता पदाधिकारी, शेखपुरा के पेंशन के 10% (दस प्रतिशत) स्थायी रोक का दण्ड संसूचित किया जाता है।

उक्त दण्ड प्रस्ताव में बिहार लोक सेवा आयोग की सहमति प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
परशुराम मिश्र, अपर सचिव–सह–
संयुक्त निबंधक,स0स0(मु०)।

---

20 अक्तूबर 2011

सं० 1/नि०को(रा०)–विभागीय–1101/2011–4735—विभागीय अधिसूचना संख्या 1439, दिनांक 24 मार्च 2011 द्वारा श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी,मधुबनी को उनके द्वारा सयुंक्त निबंधक ,सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा द्वारा बेनीपट्टी एवं लौकही मत्स्यजीवी समितियों के पुनर्गठन के संबंध में प्राप्त आरोपों की जाँच कार्य में बाधा डालने , जाँच को प्रभावित करने एवं उक्त समिति के पुनर्गठन से सम्बंधित याचित अभिलेखों को उपलब्ध न कराने एवं असामाजिक तत्वों से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अपमानित कराने के प्रयास से सम्बंधित आरोपों का स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करने के कारण उन्हें विभागीय अधिसूचना संख्या 1439, दिनांक 24 मार्च 2011 द्वारा निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने का निर्णय लिया गया। श्री झा के विरुद्ध आरोप पत्र विभागीय संकल्प ज्ञापांक 4415, दिनांक 28 सितम्बर 2011 द्वारा निर्गत किया जा चुका है । श्री संतोष कुमार झा से प्राप्त आवेदन–पत्र पर भलि–भांति विचारोपरान्त उन्हें निलम्बन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है । निलम्बन अवधि के वेतनादि का भुगतान पर विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय के समय विचार किया जायेगा तथा विभागीय कार्यवाही चलते रहेगी ।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री संतोष कुमार झा, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी (निलंबित) कार्यालय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया को अधिसूचना निर्गत की तिथि से निलम्बन से मुक्त किया जाता है। निलम्बन से मुक्ति उपरान्त श्री झा पदस्थापन हेतु सहकारिता विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
परशुराम मिश्र, अपर सचिव–सह–
अपर निबंधक,स0स0(मु०)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 39—571+**10**-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in